न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 72/2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 गीता देवी पुत्री मोहन स्त्री भागीरथ जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

1 मोहन पुत्र भाना जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 चन्द्रावली देवी पुत्री मोहन स्त्री जुगल किशोर।
3 सावित्री देवी पुत्री मोहन स्त्री रणजीत समस्त जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 चुकी देवी पुत्री मोहन स्त्री राजेश जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5 रोहिताश देवी पुत्री मोहन स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
6 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

7 बिमला देवी पुत्री मोहन स्त्री प्रमोद जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
खिलाफ प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 02.06.17
बमुकदमा उनवानी गीता वगैरह बनाम मोहन वगैरह
दावा बाबत घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मु. नं. 261/2011 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ जिला झुंझुनू

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय ओला अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–06.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकरी नवलगढ़ द्वारा वाद संख्या 261/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में ग्राम जयसिंहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 223,224,

Lalio

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

323/272 के सन्दर्भ में घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद डिक्री किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है विचारण न्यायालय को पक्षकारान की सहमती के अनुसार सभी को 1/7 का खातेदार घोषित करना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 223,323/272 में से वादी संख्या 1 को 0.30 हैक्टेयर का खातेदार घोषित कर दिया है। जो पक्षकारान की सहमती के विपरित है विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। अपील स्वीकार की जायें। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट ने आर.आर.डी. 2009 पेज 378, आर.आर.डी. 1995 पेज 475, आर.एल. डब्ल्यू 2005(1) आर.जे. पेज 41, आर.आर.डी. 2011 पेज 363 एंव आर.आर.टी. 2017(1) पेज 658 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि कर्ता खानदान अपनी सम्पूर्ण सम्पदा को विक्रय कर सकता है यहा नोसनलशेयर का सिद्वान्त लागु नही होता है। रजिस्ट्री निरस्त करने का वाद सिविल न्यायालय से खारिज हो चुका है। अपीलांट का 0.29 हैक्टेयर हिस्सा बनता है उसे 0. 30 हैक्टेयर दिया गया है कैम्प कोर्ट में अपीलांट उपस्थित है उभयपक्ष के वकील उपस्थित है अपीलांट की अंगुठा निशानी है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। वर वक्त बहस विक्रय पत्र निरस्त करवाने के दावे संख्या 91/11 उनवानी गीता देवी बनाम मोहन की सिविल न्यायालय की आदेशिका एवं वाद की प्रति, जवाब दावे की प्रति अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रस्तुत की एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय पक्षकारान ने सहमती से डिक्री पारित करन का निवेदन किया था। किन्तु विचारण न्यायालय ने वादी को खातेदार घोषित कर डिक्री पारित कर दी है। वाद में चाही गई सिद्वी प्रदान नही की गई है यदि सहमती के विरूद्व डिक्री पारित की जाती है तो तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई निर्णय करना चाहिए था विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नही की है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन निर्णय करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.12.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/11/18

(करतार सिंह पुनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर